



Phone & Fax :- 01348-267116

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,**  
**निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो (गढ़वाल)**  
*Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)*  
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro@Gmail.com



पत्रांक:- 604/14 सी0

दिनांक:- 05/07/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गढ़वाल वन प्रभाग,  
पौड़ी।

विषय— जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील थलीसैण में गढ़सारी-कुल्याणी मोटर मार्ग का विस्तार हेतु आपेक्षित वनभूमि वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में लगाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में लगाई गई आन लाईन आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार से है —

EDS dated 18-03-2016 FP/UK/ROAD/10588/2015 आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1. Short narrative of the project does not give adequate information in Part I.	1. सूक्ष्म टिप्पणी में परियोजना कि सूचना सही तरीके से ऑनलाईन अंकित कर दी गई है।
2. Village wise break up is not provided in correct form in Part I.	2. पार्ट 1 में ग्रामवार ब्रेकअप सही तरीके से ऑनलाईन अंकित कर दिया गया है।
3. Total period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part I.	3. वन भूमि प्रत्यावर्तन का कुल समय ऑनलाईन अंकित कर दिया गया है।
4. In the component wise break up in Part I, mentioned "TWO" which is not clear.	4. पार्ट 1 में मोटर मार्ग का कम्पोनेन्ट वाइस ब्रेकअप सही तरीके से ऑनलाईन किया गया है।
5. GPS coordinate marked digitally on GIS software generated georeferenced map for the area proposed for diversion in 200-300m distance and each turn of the proposed road and be uploaded in the designated place in Part I.	5. मोटर मार्ग के जियो रिफरेंस नक्से में 200-300 मीटर की दूरी एवं मोड़ों के प्रत्येक कोनो के कोडिनेट दर्शा कर नक्शा अपलोड कर दिया गया है।
6. In the SoI toposheet uploaded in Part I, the starting point and end point is not marked.	6. टोपोसीट में मोटर मार्ग का आरम्भिक बिन्दु एवं अंतिम बिन्दु व उसके कोडिनेट्स दर्शा कर नक्शा अपलोड कर दिया गया है।
7. GPS coordinate marked digitally on georeferenced map for every corner of land proposed for CA is not provided. It should be uploaded in the designated place in Part I.	7. क्षतिपूरक वृक्षा रोपण स्थल के कोनो के कोडिनेट्स दर्शा कर जियो रिफरेंस मैप अपलोड कर दिया गया है।
8. CA stipulation is not commensurate with the total forest land diverted in the district in Part II need justification and correction.	8. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का जी0ओ0 रिफरेंस मैप सही तरीके से क्षेत्रफल दर्शाकर अपलोड कर दिया गया है। शेष निराकरण आपके कार्यालय द्वारा किया जाना है।



9. The 77 trees per hectare do not account for 0.4 density and the NPV calculation is also done for dense forest which needs review. The State Govt may review the density and NPV and furnish revised density and NPV calculation.	9. इस बिन्दु का निराकरण आपके कार्यलय द्वारा किया जाना है ।
10. In the SIR report of the DFO, comments on all points are not done. SIR report, covering reply on all points may be provided.	10 इस बिन्दु का निराकरण आपके कार्यलय द्वारा किया जाना है ।
11. Part I, II, III, IV and V which is provided in online web portal for the proposal may also be enclosed with the hard copy for further necessary action.	11- इस बिन्दु का निराकरण आपके कार्यलय द्वारा किया जाना है ।

  
 6-7-16  
 अधिशासी अभियन्ता,  
 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
 बैजरा (गढ़वाल)